No. SE/Karnal/Circle/P. W. D. B and R/381.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land noted below is needed by the Government at public expense for public purpose namely Construction Fateh Garh Aproach Road Karnal, it is, therefore, hereby declared that land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under provisions of section 6 of the land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provision of section VI of the said act. The land Acquisition Collector Haryana, P. W. D. B and R Branch, Ambala is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

Plan of land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector Haryana P. W. D., B and R Branch, Ambala Cantt. and Executive Engineer Karnal Provl. Division No. 2.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality Village and Hadbast	Area in acres	Rectangle	Killa No.
Karnal	Karnal	Tissing, 30	4.43	4	2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23,
				10	2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19/1, 19/2, 22, 23,
				19	2, 3, 8, 9, 12, 13, 18/1, 18/2, 19/1 19/2, 23
				—	1,
				26	10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2
				27	2, 3, 4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 15
					58, 63, 64, 68, 69, 70, 72

(Sd.) . . .,

Suprintending Engineer,
Karnal Circle, P.W.D. B. and R. Branch,
Karnal (Haryana).

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 14 फरवरी, 1984

सं.ओ.वि./आई.डी./एफ.डी./5/84/5937.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै० मैटल कास्ट इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 278, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सुरेन्द्र कुमार तथा उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए; अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन

औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले, श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सुरेन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./आई.डी./एफ.डी.-5/84/5944.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज फुडिडम्प एजेंन्सीज, प्रा० लि०, प्लाट नं० 100, सैक्टर 6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सज्जन सिंह भारद्वाज तथा इसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सज्जन सिंह की भारद्वाज सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./12-84/5951.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैं० बागड़ी स्टील, 14 धर्मकांटा रोड मुजेसर, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वीरेन्द्रा कुमार सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री वीरेन्द्रा कुमार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

वी० एस० चौधरी,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

11986 CS(H)—Govt. Press, U.T. Chd.